संपादकीय जागरण

सोमवार, 2 जुलाई, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 4 वि. 2075

सज्जन सद्गुणों के अवतार होते हैं

हादसों की भयावह स्थिति

उत्तराखंड के पौड़ी-गढ़वाल में एक दुर्घटना में 48 बस यात्रियों की मौत भारत में सड़क हादसों की भयावह स्थिति का ताजा प्रमाण है। इसके लिए तो थोड़ी जांच-पड़ताल की जरूरत है कि रामनगर जा रही बस किन हालात में गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन यह तो जग जाहिर है कि इस अभागी बस में क्षमता से करीब दोगुने यात्री सवार थे। हैरत नहीं कि आगे ऐसा कुछ भी सामने आए कि बस चालक पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं था अथवा वह लापरवाही से बस चला रहा था। इसी तरह ऐसे भी निष्कर्ष सामने आ सकते हैं कि बस की दशा सही नहीं थी या फिर जहां वह हादसे का शिकार हुई वह दुर्घटना बहुल क्षेत्र था। आम तौर पर अपने देश में कुछ ऐसे ही कारणों से सड़क हादसे होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण बहुत आम है और वह है यातायात नियमों की अनदेखी की प्रवृत्ति। यह अनदेखी इसलिए अक्सर जानलेवा बन जाती है, क्योंकि सड़क पर वाहन चलाते समय जरूरी सावधानी का परिचय देने से इन्कार किया जाता है। इसी के चलते खराब सड़कों के साथ बेहतर सड़कों और यहां तक कि राजमार्गों पर भी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। निःसंदेह अब इससे भी कोई अनजान नहीं कि प्रगति के प्रतीक और पर्याय माने जाने वाले एक्सप्रेस-वे किस तरह हादसों के गवाह बन रहे हैं?

एक अर्से से भारत की गिनती उन देशों में हो रही है जहां सड़क दुर्घटनाओं में कहीं अधिक लोग मारे जाते हैं। एक अनुमान के तहत भारत में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक लोग सड़क हादसों में जान गंवाते है। इनमें ज्यादातर युवा अथवा अपने घर-परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। उनके असमय चल बसने से केवल उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि समाज और देश को भी क्षति उठानी पड़ती है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें इससे अवगत हैं कि सड़क हादसों को रोकने की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वे मुश्किल से ही अमल में आ पा रहे हैं। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के दुर्घटना बहुल उन स्थलों को भी दुरुस्त नहीं किया जा सका है जिनकी पहचान बहुत पहले हो गई थी। जब राष्ट्रीय राजमार्गों की यह दशा है तो फिर अन्य मार्गों में दुर्घटनाएं रोकने के उपायों के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बेहतर यह होगा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें सड़क हादसों को रोकने के लिए मिलकर काम करें। इसमें पहले ही बहुत अधिक देरी हो चुकी है। और अधिक देरी एक तरह से जानलेवा ही सिद्ध हो रही है। अपने देश में हर दिन कहीं न कहीं कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती है, लेकिन उन पर नीति नियंताओं का ध्यान तभी जाता है जब कहीं ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आमतौर पर ऐसे समय भी शोक संवेदना व्यक्त कर अथवा मुआवजे की घोषणा कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड सरकार केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहेगी? वैसे तो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सभी राज्यों को चेतने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन पर्वतीय राज्यों को कुछ अतिरिक्त उपाय करने होंगे।

बड़ी चुनौती

नए मुख्य सचिव के रूप में डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने विकास को गति देने और राज्य सरकार की नीतियों, संकल्प पत्र की घोषणाओं को सफलतापूर्वक, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू कराने का भरोसा दिया है। योगी सरकार के अभी तक के कार्यकाल में वह तीसरे मुख्य सचिव बने हैं। सामान्य सेवा अवधि के मुताबिक उनका कार्यकाल महज आठ माह बचा है। फरवरी 2019 में वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानि यदि उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला तो इन आठ महीनों में ही उन्हें कुछ ऐसा कर जाना होगा जो यादगार बन जाए। नवागत मुख्य सचिव ने स्वीकार किया है कि उप्र के पास ब्यूरोक्रेसी की सबसे अच्छी टीम है। इस टीम के सहयोग से वह विकास को मेहनत और ईमानदारी के साथ पारदर्शी तरीके से गति देंगे।

निश्चित रूप से उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ यूपी इन्वेस्टर्स समिट के जरिये प्रदेश को मिले 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने की तो दूसरी ओर औद्योगिक गति को बढ़ावा देते हुए युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की चुनौती है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि उत्पादन और उत्पादकता, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलने, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, एक जिला एक उत्पाद जैसे कई ऐसे कार्य हैं जो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करने हैं। इनसे पहले के मुख्य सचिव के पास भी ब्यूरोक्रेसी की यही टीम थी, लेकिन प्राथमिकताओं के तमाम काम अब भी अपेक्षित गति नहीं पा सके हैं। इसकी वजह यही है कि निचले स्तर पर ब्यूरोक्रेसी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। मौजूदा समय में केंद्र में चाहे मोदी सरकार हो या प्रदेश में योगी सरकार दोनों ही परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से पूरा होने में विश्वास रखते हैं।

सेवा विस्तार नहीं मिला तो इन आठ महीनों में ही उन्हें कुछ ऐसा कर जाना होगा जो यादगार बन जाए

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या गिरते रुपये की हालत सुधारने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए?

आज का सवाल
क्या बीते एक साल में जीएसटी का कार्यान्वयन सुगम रहा है?

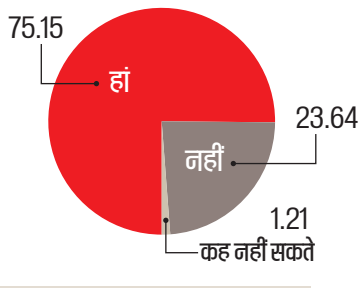

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y – हां, **N** – नहीं, **C** – कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

शहरी विकास का बदरंग चेहरा

हृदयनारायण दीक्षित

दुनिया प्रकृति विरोधी विकास के नाम पर ही नष्ट होने के कगार पर है। क्या हम विषभरी वायु में मर जाने के बदले विकास चाहते हैं?

पृथ्वी परिवार पर अस्तित्व का संकट है। दक्षिण एशिया बढ़ते भूमंडलीय ताप का निशाना है। भारत इसी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। भारत में 2018 की पहली छमाही में ही 50 आंधी तूफान आ चुके हैं। संपदा की भारी क्षति के साथ 500 लोग मारे गए हैं। इसके पहले 2013-17 के मध्य चार साल में 22 तूफान ही आए थे। तूफानों की संख्या बढ़ी है। पिछले चार साल में 22, लेकिन बीते 6 माह में 50। हम तूफानों में घिरे हैं। विश्व बैंक की 'दक्षिण एशियाई हॉट स्पॉटः तापमान के प्रभाव और जीवन स्तर का परिवर्तन' शीर्षक से आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार 'जलवायु परिवर्तन से 2050 तक भारत के जीडीपी को 2.8 प्रतिशत की क्षति हो सकती है।' बढ़ते तापमान से सूखा, बाढ़ और तूफान बढ़ सकते हैं। एचएसबीसी बैंक ने भी जलवायु परिवर्तन से भारत को सबसे ज्यादा खतरा बताया था। रिपोर्ट में उत्तरी, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया। बावजूद इसके इसी संवेदनशील क्षेत्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हजारों पेड़ों के कटान की तैयारी है। फिलहाल अदालत ने इन पर रोक लगाई है। वहीं नोएडा में कूड़ा निस्तारण को लेकर जन आंदोलन जारी है। फिर भी हम भारत के लोग अपनी जीवनशैली में बदलाव को तैयार नहीं हैं।

वृक्ष वनस्पतियां पृथ्वी परिवार के अंग हैं। वृक्ष कट रहे हैं। वन क्षेत्र घट रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहले से ही गैस चैंबर बना हुआ है। आश्चर्य है कि इसी क्षेत्र में एक साथ 16,500 पेड़ों को हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उचित प्रश्न पूछा 'क्या दिल्ली आवासीय परिसरों के लिए हजारों पेड़ों की कटाई झेल सकती है?' पेड़ कटाई की अनुमति सामान्य कर्मकांड है। इस नियम अनुमति में पर्यावरण कोई विषय नहीं होता। महानगरों के अराजक विस्तार में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है। सभ्यता के विकास के प्रथम चरण से ही नगर मानव जीवन का आकर्षण है। वैदिक काल के बाद का चरण ही सुंदर नगरीय हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन आधुनिक नगर हताश करते हैं। नगर विकास की सुव्यवस्थित नीति बनानी चाहिए। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर आदि महानगरों में शुद्ध वायु नहीं, शिमला में पीने को पानी नहीं। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन महानगर का जीवन जलहीन हो रहा है। नगर अपने विस्तार में जल, जंगल और जमीन निगल रहे हैं। नगर क्षेत्र विस्तार की पर्यावरण मित्र नीति बनानी चाहिए। नगर की अंतिम सीमा के चारों ओर दो-तीन किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना चाहिए। पेड़ प्रकृति से ही सभी जीवों के लिए प्राणवायु देते है। कथित विकास गुणात्मक मानवजीवन से दूर है।

जल, वायु, वनस्पति और सभी प्राणी आधुनिक जीवनशैली के हमले के शिकार हैं। 2005 में संयुक्त राष्ट्र का 'सहस्राब्दि पर्यावरण आकलन' आया था। इसके अनुसार 'पृथ्वी के प्राकृतिक घटक अव्यवस्थित हो गए हैं। दुनिया की प्रमुख नदियों में पानी की मात्रा घट रही है।' भारत की सभी नदियां जलहीन हो रही हैं। इसी आकलन में 12 प्रतिशत पक्षी और 25 प्रतिशत स्तनपायी जीव नष्ट होने के कगार पर थे। 2000 में पेरिस में 'अर्थचार्टर कमीशन' ने पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के 22 सूत्र निकाले थे, लेकिन परिणाम शून्य रहा। पृथ्वी की ताप बढ़त को अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने पर भी सहमति बनी। बीते 150 वर्ष में 0.80 सेल्सियस की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आगे 2020 तक के उत्सर्जन अनुमान बताए। यह तापवृद्धि 2.0 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं। खतरनाक उत्सर्जन बढ़े हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टिकाऊ विकास के 17 सूत्र लक्ष्य तय किए थे। पर्यावरण भी इनमें महत्वपूर्ण सूत्र है। भारत ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर काम किया है तो भी बहुत कुछ अभी शेष है।

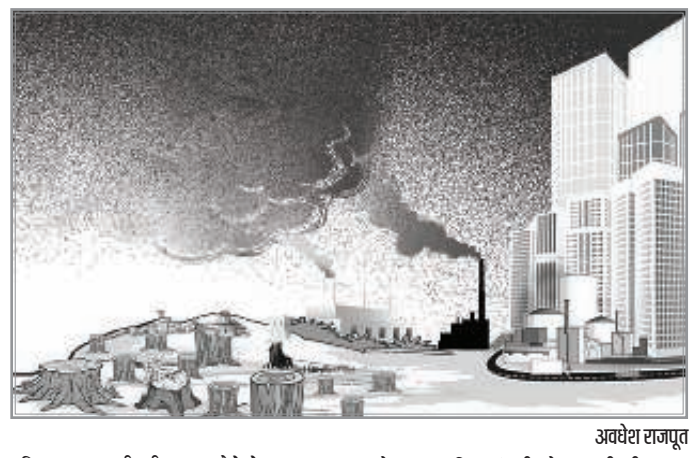

अवधेश राजपूत

भारत भूमंडलीय खतरे में है। यही भारत प्राचीन इतिहास में जलवायु और पर्यावरण संरक्षण का संवेदनशील भूखंड था। धरती से लेकर आकाश तक पर्यावरण की शुद्धता भारतीय बेचैनी थी। पृथ्वी और जल को माता बताने की घोषणा ऋग्वैदिक पूर्वजों ने की। उन्होंने पृथ्वी को माता और आकाश को पिता कहा। अथर्ववेद के कवि ऋषि ने 'माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्या' की घोषणा की थी। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। ऋग्वैदिक समाज में वर्षा के कई देवता थे, लेकिन पर्जन्य समूचे जल प्रपंच के देव हैं। ऋग्वेद (1.164) में बताते हैं 'सत्कर्म से समुद्र का जल ऊपर जाता है। वाणी जल को कंपन देती है। पर्जन्य वर्षा लाते हैं। भूमि प्रसन्न होती है।' यहां वर्षा पर्जन्य की कृपा है। पर्जन्य वस्तुतः पर्यावरण चक्र हैं। वह कर्मकांड से प्रसन्न नहीं होते। वह पृथ्वी, जल, वायु नदी, वनस्पति और सभी प्राणियों के संरक्षण से ही प्रसन्न होते हैं। पर्यावरण के सभी घटकों का संरक्षण वैदिककालीन जीवन का सीधा सूत्र है।

पृथ्वी अशांत है, भूस्खलन और भूकंप है। वायु अशांत है, आंधी और तूफान है। जल अशांत है। बाढ़, अतिवृष्टि अनावृष्टि के कोप हैं। वन उपवन अशांत हैं। सभी जीव अशांत हैं। पक्षी कहां रैन बसेरा बनाएं? यजुर्वेद (यजु 36.17) के कवि ऋषि ने सहस्त्रों वर्ष पहले अभिलाषा की थी 'अंतरिक्ष शांत हो। पृथ्वी शांत हो। वायु और जल शांत हों। वनस्पतियां औषधियां शांत हों। सर्वत्र सब कुछ शांत-प्रशांत हों।' यह ऋषि कवि संभवतः भविष्य का ताप उत्ताप देख रहा था। यह वैसे ही बोल रहा था जैसे विश्व बैंक आदि आधुनिक संस्थाओं के आकलन आते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। ऋषि के सामने जीडीपी की कोई चुनौती नहीं थी। वह संपूर्ण विश्व का आनंद, अभ्युदय और वैभव ही देख रहा था। मूलभूत प्रश्न है कि आखिरकार क्या वन उपवन उजाड़कर, कंक्रीट के महलों से ही जीवन आनंद ले सकते हैं? ऐसे टिकाऊ विकास में हम कहां टिकाऊ हैं। हमारा जीवन रूग्ण क्षणभंगुर और विकास टिकाऊ? दुनिया प्रकृति विरोधी विकास के नाम पर ही नष्ट होने के कगार पर है। विकास की परिभाषा क्या है? क्या हम विषभरी वायु में मर जाने के बदले विकास चाहते हैं? हम विकास के नाम पर औद्योगिक कचरे के आर्सेनिक, लेड आदि रसायनों से भरी जलवायु को पीने के लिए विवश क्यों है?

पृथ्वी असाधारण संरचना है। मैकडनल ने 'वैदिक मिथोलोजी' में पृथ्वी पर यह टिप्पणी की, 'ऋग्वेद के अनुसार वह पर्वतों का भार वहन करती है। वन वृक्षों का आधार है। वही वर्षा करती है।' अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का अनुवाद किया और पृथ्वी सूक्त की प्रशंसा की 'पृथ्वी ऊंची है, ढलान और मैदान भी हैं। यह वनस्पतियों का आधार है।' अथर्वा कहते हैं, 'पृथ्वी का गुण गंध है। यह गंध सबमें है, वनस्पतियों में है। यह पृथ्वी संसार की धारक व संरक्षक है। वह वर्षा देव की पत्नी है। यह विश्वंभरा है। पृथ्वी पर जन्मे सभी प्राणी दीर्घायु रहें। हम पृथ्वी को कष्ट न दें। यह माता है।' पृथ्वी, जल, वनस्पतियां, सभी जीव पर्यावरण चक्र के घटक हैं और जीवन के संरक्षक भी। वायु भी महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में वायु को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म या ईश्वर बताया गया है। वायु से ही आयु है। विश्व पर्यावरण के सूत्र भारत की ही धरती पर खोजे गए थे, लेकिन जनगणमन की प्राचीन संवेदनशीलता खो गई। इसीलिए आज का भारत भूमंडलीय ताप के खतरे में है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जेलों को सुधार गृह बनाने का वक्त

डॉ. वर्तिका नंदा

खुली जेलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं लगता

जेलों में कैद बंदियों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने वाले संयुक्त राष्ट्र नियम, 2017 और भारत में मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2017, कैदी महिलाओं की स्थिति पर संसदीय समिति की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 1382 जेलों में अमानवीय स्थिति पर सुनवाई से जुड़े मुद्दों से यह मसला चर्चा के केंद्र में आया है। इससे तमाम सवाल उठे हैं जिनमें जेलों को सुधार गृह में तब्दील करने का भी एक प्रमुख मसला है। इसे मूर्त रूप देने के लिए तमाम बड़े बदलाव करने होंगे जिनमें खुली जेलों का होना सबसे अहम है। खुली जेलें तीन तरह की होती हैं। सेमी ओपन जेल, ओपन जेल और ओपन कालोनी। सेमी ओपन जेल में कैदी जेल के ही एक हिस्से में रहते हुए कुछ बंदिशों से मुक्त हो जाता है। ओपन जेल में वह जेल के बाहरी परिसर में रहते हुए जेल के खुले परिवेश में अपनी आजीविका कमा सकता है। इसमें परिवार से मुलाकात का भी प्रावधान होता है। वह रोज जेल से एक नियत समय के लिए बाहर जाकर वापस लौट सकता है। वहीं खुली कालोनी में बंदी कहीं भी बाहर जाकर किसी भी तरह के काम को करने के लिए आजाद रहता है। यानी खुली जेल ऐसी जेल होती है जिसमें जेल के सुरक्षा नियमों को काफी लचीला रखा जाता है। ऐसी जेलें बड़ी जेलों का ही एक बाहरी हिस्सा होती है जो सलाखों से काफी हद तक आजाद होती है। वहां कैदियों को आत्मअनुशासन एवं स्वरोजगार पर जोर दिया जाता है। बाहरी लोगों से मुलाकात से बंदी भी धीरे-धीरे स्वयं को समाज में लौटने के लिए तैयारी का अवसर पा लेता है। ऐसे में खुली जेलों का मकसद जेलों में बढ़ती भीड़ पर काबू पाना और कैदियों को बेहतर इंसान बनाकर समाज में वापस लौटकर सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है।

ब्रिटेन में 70 के दशक में ही ओपन जेल शुरू कर दी गई थी। कुल 10 प्रतिशत बंदियों को इनमें भेजे जाने का प्रावधान था। भारत में भी राजस्थान और महाराष्ट्र में इस परिपाटी को अपनाया जा रहा है, लेकिन बाकी राज्य इसमें अभी पीछे हैं। इन्हीं खुली जेलों को लेकर लेकर सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए। फिर मार्च 2018 में एक और आदेश के जरिये न्यायमूर्ति एमबी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने तमाम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (जेल) को चेतावनी दी कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मुद्दे से निपटने में कार्ययोजना जमा करने में नाकाम रहने की वजह से उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। खुली जेलों पर जोर देने का यह फैसला संजय दत्त द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर लिया गया है।

अदालत ने 11 और निर्देश दिए हैं। हालांकि यह बात अलग है कि दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू के प्रोमो में जेल की हकीकत से उलट दृश्य दिखाया गया है।

इस समय भारत में कुल 63 खुली जेलें हैं। इनमें से केवल चार ही महिलाओं के लिए हैं। यरवदा, तिरुअनंतपुरम और राजस्थान में दुर्गापुर एवं सांगानेर में महिलाओं के लिए खुली जेल का प्रावधान है। 2010 में यरवदा में देश की पहली महिला खुली जेल को शुरू कर दिया गया। बाकी 59 खुली जेलों में महिला कैदियों को रखने की सुविधा नहीं। कई राज्य इसे लेकर हिचक दिखा रहे हैं। व्यापक परिदृश्य में देखें तो पूरे देश में इस समय 1382 जेलें हैं जिनमें से महिलाओं के लिए सिर्फ 18 ही हैं। यानी चाहे महिला जेल हो या खुली जेल, वे जिन जेलों में हैं वहां पहले ही क्षमताओं से अधिक कैदियों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जेलों में क्षमता के मुकाबले 114.4 फीसदी ज्यादा कैदी बंद हैं और कुछ मामलों में तो यह तादाद छह सौ फीसदी तक है। इस वजह से भी खुली जेलों को बनाए जाने की हिमायत होती रही है। दुनिया में पहली खुली जेल स्विट्जरलैंड में 1891 में बनी थी। फिर अमेरिका में 1916 में और ब्रिटेन में 1930 में बनाई गई। भारत में पहली खुली जेल 1905 में मुंबई में बनी और इसमें थाणे केंद्रीय जेल, बंबई के खास बंदियों को रखा गया, लेकिन इस खुली जेल को 1910 में बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अनधिकृत तौर पर खुली जेल का पहला कैंप 1953 में बनाया गया। इसका मकसद वाराणसी के पास चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बनाना था। इसकी सफलता को देखते हुए 1956 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी ऐसा ही प्रयोग किया गया। मौजूदा समय में खुली जेलों में करीब 100 से 1,000 तक बंदी रखे जाते हैं। डकैती और गंभीर अपराधों में लिप्त रहे बंदियों को इन जेलों में नहीं रखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि समय आ गया है कि सभी राज्य खुली जेलों पर विचार करें। अदालत ने इसमें शिमला और दिल्ली की तिहाड़ जेल का खासतौर से उल्लेख किया है। भारत में तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और इस साल मई में खुली सतना की खुली जेलों ने आधुनिक तरीके से कायाकल्प किया है। इसी तरह राजस्थान की जेलों में सामने आया कि कई कैदियों का आचरण अच्छा है, लेकिन खुली जेलों की संख्या और उनकी क्षमता कम होने की वजह से कैदियों को बंद जेलों में ही रहना पड़ रहा है। खुली जेलों पर काम कर रहीं स्मिता चक्रवर्ती ने भी पाया कि जेलों में 90 फीसदी कैदी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन दुर्घटनावश किए अपराध की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने भी यह मांग की थी कि ऐसे कैदियों को खुली जेलों में शिफ्ट किया जाना चाहिए।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के 11 सूत्रीय निर्देश में स्वतंत्रता के अधिकार, जेलों में मानवीय व्यवहार, जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु वाले बंदियों के परिवारों को मुआवजा देने और एकाकीपन एवं कैद से निपटने के लिए काउंसलिंग पर विचार करने को भी कहा गया है। कोर्ट ने कैदियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम स्तर के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से अपनाए गए मंडेला नियमों का भी जिक्र किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी कहा गया है कि वह जेलों में बच्चों और महिलाओं की देखभाल से जुड़े अपने अभियान को गति दे। देश भर में करीब 1800 बच्चे अपनी माता या पिता के साथ जेल में रहते हैं और उन्हें सिर्फ 6 साल तक ही उनके साथ जेलों में रहने की इजाजत होती है। ऐसे में खुली जेलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं लगता। खुली जेलों से आशाएं तो जगती हैं, लेकिन कुछ आशंकाएं भी बाकी रह जाती हैं।

(लेखिका जेल सुधारक एवं जेलों पर एक अनूठी शृंखला तिनका-तिनका की संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद

मनुष्य की हर पल आनंद की आकांक्षा रही है और इसकी खोज के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहा है। किसी को पढ़ने में आनंद आता है तो किसी को खेलने में। मनुष्य आनंद की अनुभूति कर लेता है, लेकिन वह आनंद थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाता है। जैसे बादलों की ओट में सूर्य छिप जाता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि जितना हम आनंद के पीछे भागते हैं, उसके लिए छटपटाते हैं, आनंद उतना ही हमसे दूर भागता हुआ दिखाई देता है। हमारी स्थिति कुछ उसी तरह की हो जाती है जैसे मरुस्थल में पानी न मिलने पर एक मृग की होती है। यानी मृग-मरीचिका वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं और विषाद से घिर जाते हैं।

आनंद पाने के लिए जरूरी है-सरलता और सहजता। जब-जब भी आप सहज और सरल होते हैं, आप उतने ही आनंद के समीप होते हैं। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा सदैव आनंद और मस्ती में रहता है, क्योंकि वह सरल और सहज अवस्था में जीता है। हम आनंद खोजते हैं बाह्य पदार्थों में, धन-दौलत में, पद-प्रतिष्ठा में, कंचन-कामिनी में और जमीन-जायदाद में, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं कि वास्तविक आनंद की गंगोत्री तो हमारे भीतर बह रही है। हो सकता है कि बाह्य वस्तुएं और अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए हमें किंचित खुशी या सुख प्रदान कर दें, लेकिन वह आनंद कभी स्थाई नहीं हो सकता। स्थाई आनंद की प्राप्ति तो सकारात्मक विचारों से होती है। सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत मन ही सच्चा आनंद प्रदान कर सकता है। 'गिलास आधा खाली है' के बजाय यह सोचा जाए कि 'गिलास आधा भरा है' तो मन को अधिक सुकून मिलता है। किसी विद्वान ने कहा है कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

क्या कभी आपने किसी के दुख को अपना दुख समझा है? क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है, वस्त्रों से वंचित व्यक्ति के बदन पर वस्त्र ओढ़ाया है या किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी बीमार को उपचार कराने में मदद की है? जो प्यासा होने पर भी आपसे एक गिलास पानी मांगते हुए झिझकता हो उसे पानी पिलाकर तो देखिए आपको कितना आनंद आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाकर तो देखिए आपको कितनी तृप्ति मिलती है। दीन-दुखियों की सेवा ही आनंद का स्रोत है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

राष्ट्र के शौर्य पर सस्ती राजनीति

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'सर्जिकल स्ट्राइक पर शर्मनाक आपत्ति' के माध्यम से सेना के शौर्य पर अनुचित आपत्ति करने वाले विपक्षी दलों को जो नसीहत दी है, वह गौर करने लायक है। वस्तुतः राष्ट्रीयता के भाव-बोध को जाग्रत करने वाले मानबिंदुओं में देश की सेना का शौर्य और पराक्रम भी एक श्रेष्ठ मानबिंदु है। 1965 के भारत-पाक युद्ध में अतुलनीय पराक्रम दिखाने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की कहानी बचपन में स्कूल की किताब में पढ़ी थी। भारत के ऐसे असंख्य वीरपुत्रों की शौर्य गाथाएं सुनकर देशवासी आज भी रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन सितंबर 2016 में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले देश के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम के वीडियो के सार्वजनिक होने में विपक्षी दलों को राजनीति नजर आ रही है। राष्ट्र के शौर्य पर विपक्ष की यह अनुचित आपत्ति एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा करके विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। देश की वीर सेना इसी राष्ट्रहित में अपने प्राणों का उत्सर्ग करती है। यदि सस्ती राजनीति के लिए सेना के इस शौर्य पर कोई देशवासी अनुचित आपत्ति व्यक्त करता है तो इसे क्या माना जाए? यह प्रश्न देश के उस विपक्ष के लिए भी है जिसने राष्ट्र मर्यादा की सीमा को लांघते हुए सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने में संकोच नहीं किया था। देश के प्रधानमंत्री को सेना के लहू का सौदागर बताकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया था। वर्तमान परिस्थिति में जब कश्मीर पाक पोषित आतंकवाद से बुरी तरह झुलस रहा है, तब विपक्ष को ऐसी सस्ती राजनीति से बाज आना चाहिए।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

प्लास्टिक का विकल्प सोचे सरकार

महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से पहले सरकार को इसका विकल्प निकालना चाहिए था। वर्तमान में प्लास्टिक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आज प्लास्टिक के बिना किसी चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हर सामान में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। सिर्फ डिस्पोजल ग्लास, खाने की प्लेट, पैकिंग करने में प्रयुक्त प्लास्टिक शीट, पॉलीथीन बैग आदि ही प्लास्टिक की नहीं होती हैं। ऐसे में हम प्लास्टिक को एकाएक अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं। सरकार को प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से पहले इसका विकल्प खोजना चाहिए था। अगर प्लास्टिक के बदले कागज का इस्तेमाल किया जाए तो कागज की खपत बढ़ेगी। कागज की खपत पूरी करने के लिए जंगल से पेड़ काटे जाएंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अगर प्लास्टिक के बदले कपड़े का इस्तेमाल किया जाए तो कपास की खेती बढ़ेगी जिससे अनाज के उत्पादन पर असर पड़ेगा। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार को पहले इसका विकल्प तलाशना चाहिए। महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह जुर्माना प्लास्टिक की कुछ चीजों पर लगाया गया है। अगर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना ही है तो सभी प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों पर लगाया जाए।

पल्लवी कुमारी, नई दिल्ली

एक नई उम्मीद

तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के बाद, निकाह हलाला और बहुविवाह को समाज से दूर करने और महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर निकाह हलाला और बहुविवाह पर याचिकाओं का समर्थन करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया, तो कई इसका विरोध भी कर रहे हैं।

monukumar6012@gmail.com

विश्वकप फुटबाल में भारत?

फुटबाल विश्वकप 2018 का जादू अपने चरम पर है। इसमें अब तक कई अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिले हैं। कई नामी -गिरामी टीमें चारों खाने चित हो गई और कई प्रख्यात खिलाड़ी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। चार बार विश्वकप जीतने वाली और पिछली विजेता जर्मनी की टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई। इतना ही नहीं, चार बार विश्व विजेता रही इटली की टीम तो इस विश्व कप में जगह ही नहीं बना सकी । लियोन मेसी के भरोसे विश्व कप जीतने का सपना देखने वाली अर्जेंटीना की टीम फ्रांस से हारकर बाहर हो गई । लियोन मेसी का जादू नही चल सका, असल में मेसी का सुनहरा दौर अब बीत चुका है। अर्जेंटीना को युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए था। यद्यपि पुर्तगाल ने कभी विश्वकप नहीं जीता पर वह भी रोनाल्डो के सहारे विश्व कप जीतने का सपना तो देख ही रहा था, लेकिन रोनाल्डो कोई चमत्कार नहीं दिखा सके। उनकी टीम उरुग्वे से मात खा गई, लेकिन फुटबाल के इस महाकुंभ में बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो नाकआउट के मैच चल रहे हैं। अभी तो पांच बार की विश्व विजेता ब्राजील की टीम का जलवा देखना शेष है। अब प्रशंसकों की निगाहें नेमार पर टिकी होंगी। क्या वे ब्राजील के तारणहार बन सकेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। वैसे पूरे विश्व में ब्राजील ही एकमात्र ऐसी टीम है जो सभी विश्व कप में खेली है। महान पेले की विरासत को संजोने वाली ब्राज़ील की टीम क्या एक बार फिर विजेता का ताज पहनेगी? अभी यह प्रश्न अनुत्तरणीय है, लेकिन विश्व फुटबाल के समीक्षक ब्राजील के जीतने की भवि